

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.अ (1)चिस्वा/2/2017


जयपुर, दिनांक : 23.08.2017

आदेश

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6(23)प्र.सु./अनु-3/95 दिनांक 04.08.1995 एवं प.6(23)प्र.सु./अनु-3/95 दिनांक 14.09.1995 के द्वारा क्रमशः राज्य में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को सुदृण रूप से दिये जाने हेतु एक जिला स्तरीय पोलियो उन्मूलन समिति एवं राज्य स्तरीय पोलियो उन्मूलन मीडिया समिति का गठन किया गया था। चूंकि राज्य में अब पोलियो का उन्मूलन हो चुका है।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2017 एवं 21.08.2017 को आयोजित बैठक में विलोपित/समाहित किये जाने योग्य कमेटियों की विभागवार समीक्षा में निर्णय के संबंध में उक्त दोनों कमेटियों को विलोपित किया जाता है।


राज्यपाल की आज्ञा से,



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख सचिव, महामहीम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
8. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग, राजस्थान।
9. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग।
10. विकास आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
12. निदेशक (जनस्वास्थ्य/आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
13. सचिव, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/उर्जा विभाग।
14. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
15. प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.स्व (1)चिस्वा/2/2017


जयपुर, दिनांक : 23.08.2017

आदेश

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6(28)प्र.सु./अनु-3/94 दिनांक 10.08.1994 के द्वारा संभागीय मुख्यालय के 6 जिलों को छोड़कर अन्य समस्त जिलों में स्थित जिला चिकित्सालय एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों को सुचारू रूप से चलाये जाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी जिला चिकित्सालय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। वर्तमान में उक्त कार्य चिकित्सालयों में गठित राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा किया जा रहा है।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2017 एवं 21.08.2017 को आयोजित बैठक में विलोपित/समाहित किये जाने योग्य कमेटियों की विभागवार समीक्षा में निर्णय के संबंध में उक्त कमेटी को राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी में समाहित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
8. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग, राजस्थान।
9. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग।
10. विकास आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
12. निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
13. सचिव, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/उर्जा विभाग।
14. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
15. प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प३५(१)चिस्वा/२/२०१७

जयपुर, दिनांक : 23.08.2017

आदेश

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6(21)प्र.सु./अनु-3/96 दिनांक 12.04.1996 के द्वारा **Screening of all Primary School Children for medical problems will be undertaken throughout the State from 22nd July, 96 to 27th July, 96 under the Special School Health Check-up Scheme** के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया था। वर्तमान में उक्त कार्य राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित किया जा रहा है।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2017 एवं 21.08.2017 को आयोजित बैठक में विलोपित/समाहित किये जाने योग्य कमेटियों की विभागवार समीक्षा में निर्णय के संबंध में उक्त कमेटी को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समाहित किया जाता है।


राज्यपाल की आज्ञा से,



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख सचिव, महामहोदय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
8. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग, राजस्थान।
9. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग।
10. विकास आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
12. निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
13. सचिव, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/उर्जा विभाग।
14. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
15. प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव